भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4343
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई की मुख्य विशेषताएं

4343. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एबी-पीएमजेएवाई की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;
(ख) विगत पांच वर्षा और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में विशेषकर परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या सहित उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षा के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के ओपीडी उपचार और इनडोर उपचार पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;
(घ) देश में उक्त योजना को मजबूत करने और विस्तारित करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इस प्रयोजनार्थ क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत देश भर में दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित इन क्षेत्रों का राज्यवार/संघराज्य क्षेत्र/क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा देश भर विशेषकर परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों को इस योजना के तहत शामिल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 27 स्पेशियलिटिज की 1,961 उपचार प्रक्रियाओं के संबंध में मध्यम और विशिष्ट परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है । यह योजना पूरे देश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर त्रि-स्तरीय मॉडल क्रमशः राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए), राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां (एसएचए) और जिला कार्यान्वयन इकाइयां (डीआईयू) के माध्यम से लागू की जाती हैं। एबी

-पीएमजेएवाई पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसकी लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है।

यह योजना पूर्णतः कैशलेस और पेपरलेस है। यह एक पात्रता-आधारित योजना है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी पात्र लाभार्थी परिवारों को योजना के कार्यान्वयन के पहले दिन से ही कवर किया जाता है। इस योजना का लाभ पूरे देश में कहीं भी उठाया जा सकता है। इसके अलावा, परिवार के आकार, आयु या लिंग संबंधी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एबी-पीएमजेएवाई को पश्चिम बंगाल, दिल्ली और ओडिशा को छोड़कर देश भर के 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रचालन मॉडल में स्थानीय परिस्थितियों इस के अनुकूल योजना को लागू करने का इसमें लचीलापन प्रदान किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य लाभ पैकेजों का अनुकूलन, अस्पतालों को सूचीबद्ध करने जैसे प्रचालन कार्यकलाप, कार्यान्वयन का तरीका और आईईसी कार्यनीतियाँ आदि शामिल हैं।

(ख): एबी-पीएमजेएवाई का वित्तपोषण पूर्णतः मांग आधारित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त वास्तविक मांग के आधार पर धनराशि जारी की जाती है। निधियों का आवंटन राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार नहीं किया जाता है। गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एबी-पीएमजेएवाई के तहत सहायता-अनुदान के रूप में जारी करने हेतु आवंटित निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	अनुदान के रूप में जारी करने के लिए आबंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता धनराशि (करोड़ रुपये में)
2019-20	5795
2020-21	5995
2021-22	5995
2022-23	6000
2023-24	6220
2024-25	6878

एबी-पीएमजेएवाई पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है और योजना की मौजूदा नीति के अनुसार इसकी लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है। सहायता-अनुदान में केंद्र सरकार का हिस्सा योजना के लाभार्थी परिवारों के उपचार की वास्तविक लागत के लिए पूर्व-निर्धारित साझाकरण पैटर्न अनुपात या भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा राशि (वर्तमान में प्रति परिवार प्रति वर्ष 1052 रुपये), जो भी कम हो, पर आधारित होता है। परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक नई निधि जारी करने से पूर्व, राज्य को पहले से प्राप्त निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अनुदान के रूप में एबी-पीएमजेएवाई के तहत जारी धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-

वार और वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक- I में है** । गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश भर में सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक- II में है** ।

महाराष्ट्र के परभणी जिले में एबी-पीएमजेएवाई के तहत 24 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या
2019-20	10
2020-21	0
2021-22	0
2022-23	1
2023-24	2
2024 (16.12.2024 तक)	11
कुल	24

(ग): एबी-पीएमजेएवाई में केवल निःशुल्क अतरंग परिचर्या यानी अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत ओपीडी सेवाएँ शामिल नहीं हैं। गत पाँच वर्षों (अर्थात वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक) के दौरान, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के अतरंग उपचार पर 88,499.91 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है ।

(घ): एबी-पीएमजेएवाई के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं क्योंकि इस योजना को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के संबंध में लाभार्थियों की मांग के आधार पर संचालित किया जाता है। कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी पात्र लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ङ) और (च): एबी-पीएमजेएवाई में जागरूकता फैलाने और लाभार्थियों को उनके अधिकारों और पात्रताओं के बारे में सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक मीडिया और आउटरीच कार्यनीति मौजूद है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सक्रिय है। इसमें समाचार पत्रों, सामुदायिक रेडियो, नुक्कड़ नाटकों, डिजिटल डिस्प्ले, रेडियो अभियान, जन संदेश, दूरदर्शन के माध्यम से लाभार्थी प्रशंसापत्रों का प्रसारण आदि सहित पारंपरिक मीडिया प्लेटफार्मों पर अत्यधिक विज्ञापन प्रसारित करना शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों ने फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं – आशाकर्मियों, एडब्ल्यूडब्ल्यू और वीएलई (ग्राम स्तरीय उद्यमी) का व्यापक नेटवर्क भी शामिल किया है, जो जमीनी स्तर पर व्यापक जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण रहे हैं । इसके अलावा, कई अन्य पहलें, जिनमें आयुष्मान मित्र की तैनाती, टोल फ्री हेल्पलाइन “14555”, फीडबैक के लिए तंत्र आदि शामिल हैं, की गई हैं जिनका उद्देश्य व्यापक सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देना और योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को सशक्त बनाना है। इसके अलावा, पात्र लाभार्थियों को सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में पीवीसी आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाते हैं ।

अनुलग्नक-I

<u>गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत सहायता-अनुदान के रूप में जारी धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा</u>

(करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.41	0.27	0.76	1	0.59	0.78
आंध्र प्रदेश	374.07	261.23	223.95	480.89	451.45	203.24
अरुणाचल प्रदेश	0	0.67	0	3.8	3.47	3.76
असम	133.23	12.1	87.91	209.33	292.06	289.68
बिहार	82.49	0	59.77	145.51	172.5	300.00
चंडीगढ़	3.82	1.84	2.49	6.41	8.96	4.51
छत्तीसगढ	280.37	112.62	66	352.94	195.47	242.31
डीएनएच और डीडी	2.02	4.24	1.76	2.93	7.79	2.89
गोवा	0.06	0.49	0.6	0.53	1.2	0.00
गुजरात	212.33	99.84	330.55	660.15	267.48	0.00
हरियाणा	58.69	71.92	89.95	143.5	95.17	51.19
हिमाचल प्रदेश	19.12	32.93	33.71	64.32	47.91	49.71
जम्मू और कश्मीर	33.44	22.7	75.12	85.62	42.22	31.54
झारखंड	126.5	100.32	7.98	0	83.55	270.63
कर्नाटक	254.13	160.85	414.11	647.74	320.59	371.74
केरल	97.56	145.61	138.9	151.34	155.49	151.34
लद्दाख	0	1.62	0.51	1.92	1.93	1.15
लक्षद्वीप	0	0	0.31	0.15	0.07	0.00
मध्य प्रदेश	118.46	164.8	355.25	665.73	790.35	413.61
महाराष्ट्र	241.88	376.65	324.75	388.03	548.4	371.88
मणिपुर	17.1	11.45	22.5	38.55	29.17	14.58
मेघालय	18.07	49.52	22.28	47.31	49.74	3.65
मिजोरम	12.41	14.97	16.58	26.3	23.35	11.66
नगालैंड	10.89	12.27	14.09	21.69	28.6	11.05
पुदुचेरी	0	1.23	0.11	7.98	5.3	2.15
पंजाब	55.55	46.85	80.5	111.38	57.96	43.91
राजस्थान	200.07	258.31	96.39	416.96	606.04	209.48
सिक्किम	0.09	1.85	1.04	2.3	6.01	2.95
तमिलनाडु	441.77	359.81	75.14	578.67	681.74	0.00
तेलंगाना	0	0	150.26	173.54	135.75	170.48
त्रिपुरा	20.18	8.98	35.6	45.25	48.81	27.76
उत्तर प्रदेश	147.49	167.63	157.56	501.78	841.11	933.50
उत्तराखंड	30.73	40.52	54.23	65.11	60.21	34.07

अनुलग्नक-II

गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	4	0	0
आंध्र प्रदेश	1241	61	689	132	120	95
अरुणाचल प्रदेश	2	15	17	9	3	2
असम	121	16	11	30	42	१३
बिहार	120	32	36	70	81	81
चंडीगढ़	7	3	4	1	2	2
छत्तीसगढ	591	661	122	150	41	56
डीएनएच और डीडी	0	0	0	0	१३	0
गोवा	4	1	2	0	0	0
गुजरात	78	99	148	255	214	119
हरियाणा	121	43	59	126	459	80
हिमाचल प्रदेश	11	12	24	26	३१	11
जम्मू और कश्मीर	15	3	33	32	40	4
झारखंड	44	34	38	25	23	9
कर्नाटक	2504	73	40	136	161	37
केरल	102	113	79	44	4	19
लद्दाख	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	4	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	294	159	141	112	96	56
महाराष्ट्र	130	225	68	89	97	18
मणिपुर	11	8	12	11	8	3
मेघालय	12	6	1	0	4	4
मिजोरम	3	3	0	1	1	1
नागालैंड	10	4	3	2	12	2
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	9	9	8	2	16	6
ओडिशा	9	0	0	1	1	0
पीएसयू	1	0	1	0	0	0
पुद्दुचेरी	18	2	6	2	0	0
पंजाब	464	104	64	28	67	40
राजस्थान	27	1020	463	269	95	0
सिक्किम	0	0	6	1	2	4
तमिलनाडु	111	93	670	73	126	26
तेलंगाना	4	3	388	878	58	19
त्रिपुरा	1	36	2	3	5	1
उत्तर प्रदेश	867	83	270	591	2389	298
उत्तराखंड	7	14	20	25	49	28
पश्चिम बंगाल	20	3	0	2	5	7

नोट: दिनांक 25.11.2024 की स्थिति के अनुसार डेटा

*****